Session Case No...**976-2022**

Witness No.....**2**... for.....अभियोजन.........Deposition taken the ......**20.04.2023..**

day of .... **गुरुवार** .... Witness's apparent age ....**24**........ **वर्ष**

state on affirmation ... **शपथपूर्वक** .... my name is ....**हरीश यादव** ....

S/o........**रामू यादव** .... occupation ....**ड्राईवर** ....

Address ....**ग्राम-सिंगारपुर, थाना-खैरागढ़, जिला-के.सी.जी.** ....

टीपः- साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

परीक्षण प्रारंभ समयः- 01.20 पी.एम.

<u>मुख्यपरीक्षण</u>

1. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं । आरोपी मेरे गांव के पास रहता हैं । मैं 3-4 माह पूर्व बिरेन्द्र सिन्हा के परिजन को अपने वाहन से थाना लेकर गया था तब पुलिस वाले ने मुझसे थाना में कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर लिये थें । घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हैं ।

2. नोटिस धारा 160 दं.प्र.सं.**प्रदर्श पी.1** है, मुखबीर सूचना पंचनामा **प्रदर्श पी.2** हैं, बरामदगी पंचनामा **प्रदर्श पी.3** है, तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी. 4**, नमूना सील पंचनामा **प्रदर्श पी.5**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.6** है एवं गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी.7** है, जिसके क्रमशः ब से ब भाग में मेरे हस्ताक्षर हैं । अपराध विवरण फार्म् **प्रदर्श पी.9** जिसके अ से अ भाग में मेरे हस्ताक्षर हैं ।

न्यायालय द्वारा प्रश्नः-

3. पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थें । पुलिस वाले मुझे धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस नहीं दिये थें । पुलिस वाले मेरे समक्ष मौका पंचनामा , बरामदगी पंचनामा , तलाशी पंचनामा नमूना सील पंचनामा तैयार नहीं किये थें । पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी से कोई सामान जप्ती नहीं किये थें । पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किये थें । पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान नहीं लिये थें । पुलिस कथन **प्रदर्श पी. 10** है जिसके अ से अ भाग **"दिनांक 08.08.2022 को ....अनुसार लिखा गया हैं"** तक बयान मैंने नहीं दिया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भुनेश्वर वर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

4. यह कहना सही है कि मैंने पुलिस वाले के कहने पर एक साथ 6–7 कागजों पर हस्ताक्षर किया था । यह कहना सही है कि उन कागजो पर पुलिस वाले क्या लिखा–पढ़ी किये थे मुझे पढ़कर नहीं सुनाये थे और न ही मैंने उसे पढ़कर देखा था । यह कहना सही है कि जिस समय मैं हस्ताक्षर किया हूं उस समय पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त और कोई नहीं था ।

पुनः परीक्षा कुछ नहीं ।

परीक्षण समाप्त समयः– 01.30 पी.एम.

साक्षी को पढकर सुनाया गया । मेरे निर्देश से टंकित

सही होना स्वीकार किया ।

गवाह का हस्ताक्षर

सही/–
(गुरु प्रसाद देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, खैरागढ़
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

सही/–
(गुरु प्रसाद देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, खैरागढ़
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)